# WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

# MASIK PATRIKA

# SEPTEMBER 2022


**Address-** WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

**Phone No.** 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-4346686

**E-mail:**wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

**Patrika Committee**

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

# INDEX


- जीएसटी सेमीनार (सीए स्वप्निल मुनोत: 17-08-2022)
- कारोबारीयो के लिए एक सितंबर से फिर शुरू कर दी गई है ट्रान एक व दो रिटर्न फ़ाइल करने के प्रक्रिया, एससी ने दो माह की दी राहत
- ITR Refund: अगर आपने भी फाइल किया है आईटीआर तो इनकम टैक्स विभाग भेज सकता है आपको ईमेल
- आयकर विभाग ने विदेश में टैक्स भुगतान करने वाले करदाताओं को दी बड़ी सहूलियत
- बैंक शाखा से एनईएफटी कराना हो सकता है महंगा
- बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए फ्रॉड रजिस्ट्री की स्थापना करेगा आरबीआई, ग्राहक सुरक्षा बढ़ेगी
- FinMin issues consolidated overseas investment rules to promote ease of doing business
- India, Mauritius sign MoUs for cooperation to boost MSME sector
- योगी सरकार महिलाओं को छोटे उद्योगों में देगी छूट, जानें क्या होंगी रियायतें
- 22 MSMEs apply for telecom PLI scheme: Govt
- परतापुर-मवाना रोड पर कंटेनर डिपो बनेंगे
- आयातित सामान पर मूल नियमों के टकराव में लागू होगा एफटीए प्रावधान, माल की डंपिंग रोकने में मिलेगी मदद
- कंपनियों के पते के भौतिक सत्यापन से जुड़े नियम बदले
- वन वीक -वन रोड अभियान से सुधरेगी सड़कों की सेहत
- FASTags to be replaced by automatic number plate readers: Nitin Gadkari
- टोल टैक्स दूरी के अनुसार देना होगा: नितिन गडकरी
- श्रम सुविधा पोर्टल से आसान होगा व्यापार
- स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री का क्यू आर कोड से कीजिए भुगतान

# जीएसटी सेमीनार (सीए स्वप्निल मुनोत: 17-08-2022)

बोंबे बाजार स्थित चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स में जीएसटी लागू होने के पांच साल पूरे होने पर सेमीनार का आयोजन हुआ। पुणे से आए सीए स्वप्निल मुनोट ने जीएसटी सेमीनार ऑन बर्निंग इश्यू विषय पर विचार रखे। कहा जीएसटी में छोटी -छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए यह जटिल लगता है। कहा विभाग के प्रत्येक नोटिस का जवाब अलग - अलग फॉर्मेट में देना होता है। अगर उसे निर्धारित फॉर्मेट में नहीं दिया जायगा तो वह स्वीकृत नहीं होगा। बताया कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की थी।

जीएसटी ट्रीब्यूनल की जल्द स्थापना हो सकती है। सरकार इस दिशा में गभींर है। उन्होंने फर्जी इनवॉइस और जीएसटी के नए प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। चैम्बर के अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता ने सीए स्वप्निल मुनोट को स्मृति चिह्न प्रदान किया। सचिव सरिता अग्रवाल, जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल, गिरीश मोहन गुप्ता, राजकुमार कंसल, सुमनेश अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, एमएस जैन,विन मेडिकेयर, सारू सिल्वर,सारू स्मेल्टिंग, सारू कॉपर, संगल पेपर्स, साईं पावरवेयर, मुकुल ब्रदर्स आदि उद्योगों के प्रतिनिधियो ने भाग लिया।

# कारोबारीयो के लिए एक सितंबर से फिर शुरू कर दी गई है ट्रान एक व दो रिटर्न फ़ाइल करने के प्रक्रिया, एससी ने दो माह की दी राहत

जीएसटी (माल एवं सेवाकर) लागू होने के समय जो कारोबारी उससे पहले के स्टाक की आइटीसी नहीं पा सके हैं, अब वे एक बार फिर एक सितंबर से ट्रान 1 और ट्रान 2 रिटर्न फाइल कर सकते है। ये दोनों ही इलेक्ट्रानिक फार्म हैं जिनमें उद्यमी व कारोबारी 30 जून 2017 के अपने स्टाक को दिखा सकेंगे ताकि उन्हें बाद की बिक्री में उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल हो सके। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कारोबारियों व उद्यमियों को दो माह के लिए यह राहत मिली है।

एक जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। उस समय कारोबारियों को ट्रान 1 व ट्रान 2 के रूप में दो फार्म की सुविधा दी गई थी जिसमें वे अपने स्टाक को भर कर पोर्टल पर अपलोड कर दें। जीएसटी लागू होने के पहले वे इस माल की खरीद या उसे बनाने में कच्चा माल लाने के दौरान जो टैक्स दे चुके थे, उसका आइटीसी उन्हें मिलना था। कुछ समय बाद यह सुविधा खत्म कर दी गई लेकिन बहुत सारे कारोबारी और उद्यमी अपना स्टाक इस फार्म में भर कर अपलोड नहीं कर सके। उनका कहना था कि टेक्निकल चीजों को वे समझ नहीं पाए।


SHUBHAM ORGANICS LIMITED

*Mfrs. of:*

***Pharmaceuticals Industrial Chemicals, Bulk Drugs & Drug Intermediates***

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur Centre,
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping
3, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

उन्होंने कई बार इसे दोबारा शुरू करने की मांग की लेकिन ऐसा न हो सका। कारोबारी व उद्यमी व टैक्स सलाहकार न्यायालय तक पहुंचे। आखिरकार उच्चतम न्यायालय ने राहत दी। अब एक सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक यह पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। कारोबारी इसमें अपने स्टाक व आइटीसी के क्लेम आदि अपलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही दाखिल फार्म संशोधित भी कर सकेंगे। न्यायालय ने अधिकारियों को इन फार्मों को निस्तारित करने के लिए 31 अक्टूबर के बाद 90 दिन का समय दिया है। इसके बाद कारोबारियों की आइटीसी खुद जीसटी पोर्टल के इलेक्ट्रानिक लेजर में नजर आने लगेगी।

## ITR Refund: अगर आपने भी फाइल किया है आईटीआर तो इनकम टैक्स विभाग भेज सकता है आपको ईमेल

यदि आप उन लोगों में से हैं, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष (AY 2022-23) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है और अपने रिफंड (Income Tax Refund) का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आजकल इनकम टैक्स विभाग कुछ लोगों को एक मेल भेज रहा है, जिसमें करदाता से अपने आयकर रिटर्न की पुष्टि करने के लिए कहा जा रहा है। विभाग द्वारा करदाताओं को भेजे गए ईमेल के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने अपनी फाइलिंग में टैक्स रिफंड का दावा किया है, उन्हें इस बात की पुष्टि करनी है कि उनके द्वारा दायर आईटीआर (ITR) सही है और इसके एवज में उनका टैक्स रिफंड बनता है।

यह वेरिफिकेशन ईमेल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है। हालांकि ईमेल में यह उल्लेख नहीं है कि अगर यह 15 दिन की समय सीमा के भीतर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा।

SARU METALS

**SARU SMELTING PRIVATE LIMITED**

**SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)**
**Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969**
**Email: info@sarumetals.com**
**Website: www.sarumetals.com**

## आईटी डिपार्टमेंट क्यों भेज रहा है मेल:

ऐसे करदाता, जिन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दायर आईटीआर में पुरानी कर व्यवस्था के तहत कटौती का दावा किया है, लेकिन कटौती उनके फॉर्म 16 में दर्ज नहीं की गई है, उनको मेल भेजकर गलती को सुधारने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा उन व्यक्तियों को ईमेल भेजे जा रहे हैं जिन्होंने वर्तमान नियोक्ता को बताया है कि उन्होंने नई आयकर व्यवस्था का विकल्प चुना है, लेकिन अपना आईटीआर उन्होंने पुरानी कर व्यवस्था के तहत दाखिल कर दिया है। उनके फॉर्म 16 और दाखिल आईटीआर में मेल न होने के कारण आयकर विभाग का सिस्टम इसे एक अतिरिक्त कटौती का दावा मानता है।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com
A Pioneer Unit for Manufacturing of:
"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

# आयकर विभाग ने विदेश में टैक्स भुगतान करने वाले करदाताओं को दी बड़ी सहूलियत

आयकर विभाग (Income Tax department) ने विदेश में टैक्स भुगतान कर चुके करदाताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) ने विदेशी टैक्स क्रेडिट (FTC) से जुड़े नियम में बदलाव किया है। सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 128 में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब फॉर्म नंबर 67 में स्टेटमेंट संबंधित आकलन साल अंत में या उससे पहले भी सब्मिट किया जा सकता है।

समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने कहा है कि अगर किसी ने विदेश में टैक्स भुगतान किया है तो वह व्यक्ति भारत में क्रेडिट का दावा आकलन वर्ष के आखिरी तक कर सकता है। हालांकि यह राहत सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने अपना आयकर रिटर्न निर्धारित समयसीमा के अंदर फाइल किया है। विभाग ने कहा है कि फार्म संख्या-67 में दिए जाने वाले स्टेटमेंट को अब संबंधित टैक्स आकलन वर्ष के अंत तक दिया जा सकता है।

खास बात यह है कि सीबीडीटी ने इस संशोधन को पिछली तारीख से लागू करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी वजह से चालू वित्त वर्ष में जमा किए गए सभी एफटीसी (फारेन टैक्स क्रेडिट) दावों पर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। अभी तक जरूरी दस्तावेजों के साथ फार्म-67 को वास्तविक रिटर्न की फाइलिंग की तय तारीख तक जमा करने पर ही विदेश में जमा कर का क्रेडिट लिया जा सकता था। इस प्रविधान की वजह से भारत के बाहर चुकाए गए टैक्स के लिए सीमित दावों का ही पता चल पाता था।

DAS HYUNDAI

At Hyundai, We are going

*Beyond Mobility*

Das Building, Abulane, Meerut

Mob: 9557909977, 9557909988

# बैंक शाखा से एनईएफटी कराना हो सकता है महंगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली के संबंध में जारी एक विचार पत्र में बैंक शाखाओं के जरिए होने वाले एनईएफटी लेन-देन पर प्रोसेसिंग शुल्क वसूले जाने का प्रस्ताव रखा है। एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो पैसा भेजने की सुविधा प्रदान करती है। एनईएफटी द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रान्सफर होता है। इस प्रस्ताव के मुताबिक दो लाख रुपये से ज्यादा की राशि के लेन-देन पर 25 रुपये तक का शुल्क वहन करना पड़ सकता है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों से एनईएफटी कराने पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं वसूलता है। अभी आरबीआई ने बैंकों को बचत खाताधारकों से ऑनलाइन एनईएफटी कराने पर कोई शुल्क न लेने के लिए कहा है।

एनईएफटी सर्विस आरबीआई द्वारा संचालित है। नियमों के मुताबिक केंद्रीय बैंक एनईएफटी के लिए बैंकों से शुल्क वसूल सकता है। बीते बुधवार को आरबीआई ने बैंक की शाखाओं के जरिए एनईएफटी के लिए शुल्क वसूलने वाले समीक्षा पत्र को जारी किया था। इस राशि में टैक्स शामिल नहीं है। इसमें 10 हजार रुपये तक ढाई रुपये, एक लाख रुपये तक पांच रुपये, दो लाख रुपये तक 15 रुपये और दो लाख रुपये से ऊपर 25 रुपये शुल्क का प्रस्ताव रखा गया है।

## यूपीआई लेन-देन पर भी शुल्क का विचार:

भुगतान के लिए यूपीआई के इस्तेमाल पर भी शुल्क लगाने का विचार चल रहा है। इतना ही नहीं डेबिट कार्ड से भुगतान करना भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। दरअसल आरबीआई ने भुगतान प्रणाली शुल्कों पर एक समीक्षा पेपर जारी किया है। इसमें ऑनलाइन पेमेंट सभी माध्यम जैसे यूपीआई, क्रेडिट और डेबिट कार्ड आदि सभी तरह के पेमेंट सिस्टम मौजूद है। फंड ट्रांसफर पर लगने वाली लागत वसूलने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है। आरबीआई ने शुल्क लगाने को लेकर लोगों से सलाह भी मांगी है। इस पेपर में यह भी सुझाव मांगा गया है कि यूपीआई में चार्ज एक निश्चित रेट पर लिया जाए या पैसे ट्रांसफर करने के हिसाब से लिया जाए। बता दें कि फिलहाल यूपीआई लेन-देन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा।

## आरबीआई का तर्क:

रिजर्व बैंक के मुताबिक, इसमें सार्वजनिक रुपये लगे हैं। ऐसे में इसकी लागत निकालना जरूरी है। रिजर्व बैंक ने ये भी साफ किया  कि रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस में लगाया गया शुल्क कमाई का साधन नहीं है। यूपीआई पर होने वाले खर्च को लिया जाएगा, जिससे यह सुविधा भविष्य में बिना किसी बाधा के जारी रह सकें।

## बैंक से जुड़े कुछ प्रमुख शुल्क:

- सर्विस चार्ज यानी एटीएम से निकासी की अधिकतम सीमा के बाद
- खाते में रकम न्यूनतम सीमा से कम होने पर डेबिट कार्ड की सालाना फीस
- चेक बुक इश्यू कराने या चेक बाउंस होने पर फीस
- नगदी की निकासी और जमा पर भी राशि के हिसाब से शुल्क
- डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में शुल्क, अधिक पन्ने वाला चेकबुक लेने के लिए और  होम बैंकिंग सर्विसेज शुल्क

# बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए फ्रॉड रजिस्ट्री की स्थापना करेगा आरबीआई, ग्राहक सुरक्षा बढ़ेगी

बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने और ग्राहकों के सुरक्षा के उपायों को मजबूत करने के तहत आरबीआई 'फ्रॉड रजिस्ट्री'  (धोखाधड़ी पंजीयक) की स्थापना पर विचार कर रहा है। इसकी मदद से धोखाधड़ी वाली वेबसाइट, फोन नंबर, विभिन्न तरीकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा।

आरबीआई के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि इस डाटाबैंक से जालसाज दोबारा धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगे क्योंकि इन वेबसाइट या फोन नंबरों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय हम भुगतान, निपटान व पर्यवेक्षण जैसे आरबीआई के विभिन्न विभागों सहित सभी हितधारकों से बात कर रहे हैं। भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों को

इस डाटाबेस तक सीधी पहुंच दी जाएगी। हालांकि, फ्रॉड रजिस्ट्री' की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है।

## मूल निवेश कंपनी के ग्राहक अब लोकपाल के दायरे में:

शर्मा ने कहा, मूल निवेश कंपनी के ग्राहक केंद्रीय बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के तहत आएंगे। लोकपाल योजना के तहत दर्ज शिकायतों को साझा करते हुए उन्होंने कहा, 2021-22 के दौरान 4.18 लाख शिकायतें मिलीं। इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल 3.82 लाख शिकायतें मिली थीं। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष की शिकायतों में 97.9 फीसदी मामलों का निपटारा किया गया है।

# FinMin issues consolidated overseas investment rules to promote ease of doing business

In a bid to promote ease of doing business, the Finance Ministry notified the consolidated rules for overseas investment by Indian entities.

The Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Rules, 2022 will subsume extant regulations pertaining to Overseas Investments and Acquisition and Transfer of Immovable Property outside India Regulations, 2015.

The consolidated rules bring in a host of changes that could impact merger and acquisition decisions of Indian residents, including corporates and startups.

"In view of the evolving needs of businesses in India, in an increasingly integrated global market, there is need of Indian corporates to be part of global value chain.

The revised regulatory framework for overseas investment provides for simplification of the existing framework for overseas investment and has been aligned with the current business and economic dynamics," the finance ministry said in a statement.

Clarity on Overseas Direct Investment and Overseas Portfolio Investment has been brought in and various overseas investment related transactions that were earlier under approval route are now under automatic route, significantly enhancing 'ease of doing business' it said.

Last year, the government of India in consultation with the Reserve Bank undertook a comprehensive exercise to simplify these regulations.

The draft Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Rules and draft Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Regulations were also put in the public domain for consultations, it said.

As per the notified rules, any ODI in startups recognised under the laws of host country could be made by an Indian entity only from the internal accruals whether from the Indian entity or group or associate companies in India and in the case of resident individuals, from own funds of such an individual, Sandeep Jhunjhunwala, M&A Tax Partner at Nangia Andersen LLP, said.

Barring banking and insurance companies, NBFCs and government companies, a person resident in India cannot make financial commitment in a foreign entity that has invested or invests into India, at the time of making such financial commitment or at any time thereafter, either directly or indirectly, resulting in a structure with more than two layers of subsidiaries, he said.

"The embargo on acquiring gift of foreign securities, only from relatives, has now been substituted as permissible from any non-resident outside India, subject to compliance under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010," he said.

The new rules have included overseas investment in International Financial Services Centre (IFSC) by person resident in India.

A person resident in India may make overseas investment in an IFSC in India within the limits, a gazette notification issued by the finance ministry said.

A person resident in India can make contribution to an investment fund or vehicle set up in an IFSC as Overseas Portfolio Investment (OPI), it said.

It further said that a resident individual may make Overseas Direct Investment (ODI) in a foreign entity, including an entity engaged in financial services activity, (except in banking and insurance), in IFSC, if such entity does not have a subsidiary or step down subsidiary outside IFSC where the resident individual has control in the foreign entity.

The notification said that an authorised dealer bank including its overseas branch may acquire or transfer foreign securities in accordance with the terms of the host country or host jurisdiction, as the case may be, in the normal course of its banking business.

Any resident individual can make ODI by way of investment in equity capital or OPI subject to the overall ceiling under the Liberalised Remittance Scheme of the Reserve Bank.

Currently, the LRS permits USD 2,50,000 outward investment by an individual in a year.

With regard to corporate, the notification said, an Indian entity can make OPI not exceeding 50 per cent of its net worth as on the date of its last audited balance sheet.

Corporates can make ODI by way of investment in equity capital for the purpose of undertaking bonafide business activity, it said, adding, the total financial commitment made by an Indian entity in all the foreign entities taken together at the time of undertaking such commitment would not exceed 400 per cent of its net worth as on the date of the last audited balance sheet or as directed by the Reserve Bank.

## India, Mauritius sign MoUs for cooperation to boost MSME sector

The MSME Ministry announced two memorandums of understanding (MoUs) signed between India and Mauritius on cooperation in promoting the MSME sector of the two countries. Both MoUs were signed by the Mauritius government's small business promotion entity SME Mauritius — one with Entrepreneurship Development Institute of India (EDII)- Ahmedabad and another with the National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (NI-MSME). MSME Ministry's NI-MSME trains small businesses, individuals, and professionals for entrepreneurship development, capacity building, marketing, innovation, infrastructure development, quality management, and more.

The MoUs signed were part of the India-Mauritius 3rd Joint Committee Meeting on SME cooperation held on Thursday. The Indian side led by MSME Minister Narayan Rane and the Mauritius side by visiting Soomilduth Bholah, Minister of Industrial Development, SMEs and Cooperatives discussed the potential areas of cooperation such as exchange of best practices and experiences in the development of the MSME sector.

The review meeting also discussed holding physical or virtual exhibitions and fairs apart from technological cooperation, encouraging business-to-business (B2B) collaboration through B2B meets, entrepreneurship development and training programmes, and partnership in different sectors including aromatherapy, food processing and eco-friendly businesses.

"The shared values of democracy and inclusive socio-economic development make us natural partners in our journey to ensure peace and prosperity in both countries,"

MSME Ministry tweeted quoting Minister of State for MSMEs Bhanu Pratap Singh Verma as saying.

The bilateral merchandise trade between India and Mauritius had increased to $786.72 million in 2021-22 from $690.02 million in 2019-20. In February last year, India and Mauritius had signed the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA), the first trade agreement signed by India with a country in Africa to cover trade in goods, rules of origin, Trade in services, Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures, dispute settlement, movement of natural persons, telecom, financial services, customs procedures and cooperation in other areas, the Commerce Ministry had announced in a statement.

## योगी सरकार महिलाओं को छोटे उद्योगों में देगी छूट, जानें क्या होंगी रियायतें

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MMME) स्थापित करने के लिए उद्यमियों को विशेष राहत देने जा रही है। लेकिन इससे ज्यादा महिला उद्यमियों को और रियायतें दी जाएंगी। योगी सरकार की नई एमएमएमई नीति में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

उद्यमियों को पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निवेश पर 100 प्रतिशत, मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में 75 प्रतिशत (गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में केवल 50 प्रतिशत छूट) उद्योग लगाने पर स्टांप शुल्क में छूट मिलेगी. लेकिन महिला उद्यमियों को कहीं भी उद्योग लगाने के लिए जमीन की खरीद पर स्टांप शुल्क नहीं देना होगा।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

## निवेश प्रोत्साहन सहायता:

बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को 25 प्रतिशत, लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 20 प्रतिशत और मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए 15 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में यह सब्सिडी क्रमश: 20 फीसदी, 15 फीसदी और 10 फीसदी होगी. एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। सभी के लिए इस सहायता की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये ही होगी। उद्योगों की स्थापना के लिए कर्ज लेने पर ब्याज पर पांच साल के लिए सरकार ब्याज सबवेंशन देगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में, यह ब्याज सबवेंशन सूक्ष्म उद्योगों के लिए छह प्रतिशत और लघु और मध्यम उद्योगों के लिए पांच-पांच प्रतिशत होगा।

## 22 MSMEs apply for telecom PLI scheme: Govt

The Department of Telecommunications (DoT) said 32 companies have submitted applications for the design-led production-linked incentive (PLI) scheme that promotes telecom and networking products' manufacturing in India. Out of 32 companies, 22 were micro, small and medium enterprises (MSMEs), five were domestic non-MSMEs, and the remaining five were global enterprises, according to a statement by the communications ministry.

The DoT had notified the scheme in February last year with a financial outlay of Rs 12,195 crores. A total of 31 companies, comprising of 16 MSMEs and 15 Non-MSMEs including 8 domestic and 7 global companies were given approval in October. However, in the backdrop of building a strong 5G ecosystem in the country, the budget this year had proposed to make design an intrinsic part of the scheme, and consequently, the scheme was amended in June this year to make manufacturing design-led with additional incentive rates.

The scheme offers an additional incentive of 1 per cent over and above the existing incentives for products that are designed in India. The application window was open from June 21 till August 25, 2022, the ministry said in a statement.

Out of 32 companies, the ministry said 17 had applied as design-led manufacturers while the remaining had applied as production-linked

manufacturers. “India is poised to emerge as design and manufacturing hub for telecom and networking equipment.”

Meanwhile, the DoT had also extended the scheme by one year. The existing beneficiaries can choose between FY22 or FY 23 as the first year of incentive under the scheme. Beneficiaries can avail of the incentives for five years commencing April 1, 2022.

Applications invited from design-led manufacturers by the government were prioritized. The scheme stipulated Rs 10 crore in minimum investment threshold for MSMEs and Rs 100 crore for non-MSMEs. Moreover, the eligibility was also subject to incremental sales of manufactured goods covered under the scheme’s target segments over the base year of FY20.

## परतापुर-मवाना रोड पर कंटेनर डिपो बनेंगे

मेरठ के कारोबारियों और उद्यमियों को सुविधा और शहर को जाम से राहत देने के लिए प्रदेश सरकार छह जिलों का सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार करा रही है। मेरठ में अर्बन मॉस ट्रांजिट कंपनी (यूएमटीसी) को 37.5 लाख रुपये में पांच महीने में कार्य करने के लिए टेंडर फाइनल कर दिया गया है। यूएमटीसी ने सिटी लॉजिस्टिक प्लान बनाने के लिए 40 लाख रुपये की वित्तीय बोली लगाई थी। इस टेंडर में सिर्फ यूएमटीसी ने ही प्रतिभाग किया। अब कंपनी के प्रतिनिधि मेरठ में रहकर कार्य करेंगे। इसमें सबसे पहले जिले की औद्योगिक गतिविधियों को पता करने के लिए सर्वे होगा। इसके बाद प्लान तैयार किया जाएगा। इस प्लान में शहर के दो किनारे दिल्ली रोड स्थित परतापुर क्षेत्र और मवाना रोड स्थित सलारपुर में कंटेनर डिपो बनाने की तैयारी है।

3ACE INTERNATIONAL

*Manufacturer & Exporters of:*

Sports Goods

D-7, Udyogpuram, Partapur, Meerut

Mob. No.: 9810920091

E-mail: sachin@3aceinternational.com

शहर के अंदर चलने वाले भारी वाहनों को रोकने और आसानी से सामान के फैक्टरी तक पहुंचाने के लिए सिटी लॉजिस्टिक प्लान को बनाया जाना है। इससे शहर के अंदर लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा। वहीं, आसानी से सामान कंटेनर डिपो पर पहुंचकर वेयरहाउस में पहुंच सकेगा। जिससे छोटे वाहनों के द्वारा सामान को फैक्टरियों तक पहुंचाया जा सके। मेरठ में हाइवे, एक्सप्रेसवे का निर्माण चारों तरफ किया जा रहा है। अब जरुरत है औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार कर निवेश को बढ़ाने के लिए आसान किया जाए।

## पहले होगा सर्वे... क्या है मेरठ में जरूरी:

सिटी लॉजिस्टिक प्लान के लिए कंपनी मेरठ के औद्योगिक क्षेत्र का सर्वे करेगी। उस क्षेत्र को किलोमीटर में बांटकर सर्वे किया जाएगा। उसमे देखना होगा किस क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग स्थापित है। वहां क्या सामान बाहर से आता है और क्या जाता है। वहीं, किस तरह से सामान के लाने-जाने का अभी साधन हैं। इस कार्य के लिए एक संयुक्त बैठक भी सभी विभागों की जाएगी।

## शहर के प्रमुख उद्योग:

खेल, कपड़ा, आभूषण, कैंची, बैंडबाजा।

## यह है प्रस्तावित:

1. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का स्टेशन।

2. रैपिड रेल (रात के समय फ्रेट के लिए भी उपयोग प्रस्तावित)

3. परतापुर और सलारपुर(कंटेनर डिपो प्रस्तावित)

**SANSPAREILS GREENLANDS PVT. LTD (SG)**

Mfrs. & Exporter

Cricket Gear, Apparels & Bags

Add: 1250, Opp. Airport, Gagol Road, Partapur,Meerut – 250103

Email: sales@teansg.in

Mobile : 8475888843

# आयातित सामान पर मूल नियमों के टकराव में लागू होगा एफटीए प्रावधान, माल की डंपिंग रोकने में मिलेगी मदद

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राजस्व विभाग और आयातक के बीच टकराव के मामले में मूल देश के संबंध में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में दी गई विशेष छूट अवश्य लागू होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मुख्य आयुक्त को दिए निर्देश में कहा है कि सीमा शुल्क के अधिकारियों को आवेदन देने में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। साथ ही संबंधित व्यापार समझौते के प्रावधानों या इसके मूल नियमों के प्रावधानों पर अमल करते रहना चाहिए।

सीमा शुल्क के संबंध में 21 अगस्त, 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी। 21 सितंबर, 2020 से अमल में लाया गया था। नियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारी को ऐसा लगता है कि उत्पादक देश के निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं किया गया है तो वह आयातक से कारोबार समझौते के तहत और जानकारी मांग सकते हैं। जानकारी नहीं मिलने पर अधिकारी आगे सत्यापन कर सकते हैं।


INDRA BRICK WORKS

Manufacturers of:
MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

KARTAR SINGH & SONS

Warehouses Unit's

**Office:**

6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road,
Meerut City-250002
Phone: 0121-4002210
Email: rajinder_2068@yahoo.com

**Works:**

Malyana Before Bypass,
Baghpat Road,
Opp. Delhi Public School
Meerut City

## माल की डंपिंग रोकने में मिलेगी मदद:

इस प्रावधान के तहत किसी देश ने भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किया है तो वह किसी तीसरे देश से माल को भारतीय बाजार में केवल एक लेबल लगाकर नहीं भेज सकता है। उसे भारत को निर्यात करने के लिए उस उत्पाद में एक निर्धारित मूल्यवर्धन करना होगा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और आसियान देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता किया है।

## आयातकों की चिंताओं को दूर करेगा:

अर्नेस्ट एंड यंग के भागीदार सौरभ अग्रवाल ने कहा कि यह निर्देश काफी हद तक आयातकों की चिंताओं को दूर करेगा। खासकर वहां, जहां भी एफटीए आधारित छूट का लाभ उठाया जा रहा है। वर्तमान में नियमों के  लिए आंकड़ों और तथ्यों को व्यापक रूप से पेश करने की आवश्यकता होती है।

## मोबाइल डिस्प्ले असेंबली के आयात पर लगेगा 15 फीसदी सीमा शुल्क:

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि स्पीकर और सिम ट्रे जैसे कलपुर्जों के साथ आने वाली मोबाइल फोन डिस्प्ले असेंबली के आयात पर 15 फीसदी की दर से ही बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) लगेगा।

सीबीआईसी ने कहा, डिस्प्ले असेंबली के आयात में गलत जानकारियां देने की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसे दूर करने को बीसीडी में बदलाव किया गया है। फिलहाल मोबाइल डिस्प्ले असेंबली इकाई के आयात पर 10% सीमा शुल्क लगता है। लेकिन डिस्प्ले असेंबली में इस्तेमाल अलग-अलग उपकरणों के आयात पर शुल्क नहीं लगता है। मोबाइल फोन की डिस्प्ले इकाई में टच पैनल, कवर ग्लास, एलईडी बैकलाइट जैसे कलपुर्जे शामिल होते हैं। हालांकि, अगर एक मोबाइल फोन की डिस्प्ले इकाई सिर्फ धातु या प्लास्टिक से बने बैक सपोर्ट फ्रेम के साथ आयात होती है तो उस पर 10 फीसदी ही कर लगेगा।

## कंपनियों के पते के भौतिक सत्यापन से जुड़े नियम बदले

सरकार ने कंपनियों के पंजीकृत पते के भौतिक सत्यापन के समय पारदर्शी प्रकिर्या  तय करने के लिए नियमो को संशोधित किया हैं अब सत्यापन के समय पंजीकृत कंपनी कार्यालय की तस्वीर लेने और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी का तरीका अपनाया जाएगा । कंपनी मामलो के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2014 के तहत निर्धारित सत्यापन नियमो को संशोधित कर दिया हैं। अधिनियम की धारा-12 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को अगर यह लगता है। कि कोई कंपनी सही ढंग से कारोबार नहीं कर रही हैं।  तो वह उसके पंजीकृत पते का भौतिक सत्यापन कर सकता हैं।

## वन वीक - वन रोड अभियान से सुधरेगी सड़कों की सेहत

मेरठ शहर को सुन्दर बनाने की दिशा में नगर आयुक्त डॉ अमित पाल शर्मा ने नई पहल की हैं वन वीक वन रोड अभियान चलाने का निर्णय लिया हैं इसके तहत प्रतियेक सप्ताह एक सड़क चयनित की जाएगी। उस पर उसी सप्ताह गड़ढा मुक्त और सुंदरीकरण कार्य किया जायगा।

नगर आयुक्त ने निर्माण अनुभाग के अधिशासी अभियंता अमित शर्मा और विकास कुरील को इसकी जिम्मेदारी दी हैं शहर के ऐसे मार्ग चयनित किए जाएंगे जो दिल्ली रोड, गढ़ रोड, हापुड़ रोड, रुड़की रोड, मवाना रोड के प्रमुख संपर्क मार्ग हैं जिन पर ट्रैफिक अधिक होता है। इसी कड़ी में निर्माण अनुभाग ने रेलवे रोड और मिम्हेंस अस्पताल वाली रोड को निरीक्षण किया है। इनमे से एक सड़क का चयन करके वन वीक वन रोड की शुरुआत की जाएगी।

**ये काम होंगे:**

सड़क की मरम्मत, डिवाइडर की मरम्मत, रेलिंग सुधर, फुटपाथ की मरम्मत और अतिक्रमण हटाना, ख़राब स्ट्रीट लाइट बदलना, जरूरत के हिसाब से नई स्ट्रीट लाइट व तिरंगा लाइट लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा डिवाइडर, रेलिंग व नाले किनारे की दीवार को रंग-रोगन व सड़क पर सफ़ेद पट्टी  बनाने का कार्य भी किया जाएगा।

# FASTags to be replaced by automatic number plate readers: Nitin Gadkari

There might soon be no toll plazas across India's national highways. The government is working on replacing the toll plazas with automatic number plate reader cameras. These cameras will read the number plates of the vehicles and automatically deduct the money from the owner's bank account. A pilot of this is already underway, according to the union minister for road transport and highways Nitin Gadkari, as reported by Indian Express (IE).

"Now, the plan is to remove toll plazas and put cameras, which will read these number plates and toll will be deducted from the account directly. We are also doing a pilot of this scheme. However, there is one problem — there is no provision under the law to penalise the vehicle owner who skips the toll plaza and does not pay. We need to bring that provision under the law. We may bring in a provision for cars which do not have these number plates to get them installed within a certain period of time. We will need to bring in a Bill for this," Gadkari was quoted as saying by IE.

FASTags have reduced the average time taken by a vehicle to cross a toll plaza. It takes nearly 47 seconds for a vehicle to pass using a FASTag. In an hour, nearly 260 vehicles can be processed. On the other hand, the manual toll collection lane only processes 112 vehicles in an hour.

Nearly 97 per cent of the total toll collection in India takes place through FASTags. Out of Rs 40,000 crore, only 3 per cent is collected via cash or card. FASTags were made mandatory on February 16, 2021, the report further said.

However, some problems still remain with FASTags. Users with low balance enter the plaza lanes, resulting in congestion. Also, because of internet connectivity issues at some plazas the status of low balance FASTag is not updated to active FASTag quickly, leading to jams.

Sometimes, FASTags are also not fixed properly on the vehicle by the users, leading to delays.

With automatic number plate readers, the processing time is expected to fall further, but much will depend on the implementation. IE quoted an expert as saying that if there is something apart from the number written on the plate, the camera might face difficulty in reading. He further added that in India we need more than one way of collecting toll tax to ensure "minimal loss of revenue".

# टोल टैक्स दूरी के अनुसार देना होगा: नितिन गडकरी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि आने वाले दिनों में टोल शुल्क वसूलने के लिए प्रौधोगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जायगा। जितनी दूरी तय करेंगे, उतने ही सफर का टोल टैक्स देना होगा। गडकरी ने कहा कि वर्ष 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगें। तब भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा। गडकरी ने बताया कि अभी अगर कोई व्यक्ति टोल रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है। तो उसे 75 किलोमीटर का शुल्क देना पड़ता हैं। लेकिन नई व्यवस्था में उतनी दूरी का ही शुल्क लिया जाएगा जितनी दूरी तय की गई होगी। उन्होंने कहा कि अब तक टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है, इस बारे में विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि टोल वसूलने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा। पहला, कारो में जीपीएस प्रणाली लगाई जाए और दूसरा, आधुनिक नंबर प्लेट हर वाहन में लगे। इनमे से कोई एक विकल्प अगले महीने तक चुन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से नए नंबर प्लेट लगाने पर जोर दिया जा रहा हैं।


SANGAL PAPERS LTD.

*Manufacturing Papers Based on Customer Needs*

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 274324

# श्रम सुविधा पोर्टल से आसान होगा व्यापार
# नए लेबर कोड में एक ही प्लेटफार्म पर मिलेगी पंजीयन, लाइसेंसिंग व निरिक्षण की सुविधा

नए लेबर कोड के लागू होने पर सभी संस्थानों के पंजीयन, लाइसेंसिंग और संस्थानों में होने वाले निरिक्षण के लिए सिंगल पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि पंजीयन से लेकर लाइसेंसिंग में कोई दोहराव नहीं हो और एक लाइसेंस से देशभर में काम चल जाए। इन सभी काम को आसान बनाने के लिए श्रम मंत्रालय श्रम सुविधा पोर्टल 2.0 विकसित कर रहा है। श्रम समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए सभी राज्य अपना लेबर कोड जारी करेंगे और राज्य अपना पोर्टल भी विकसित कर सकते है। हालांकि लेबर कोड को आसानी से लागू करने और पंजीयन से लेकर लाइसेंसिंग तक के दोहराव को रोकने के लिए राज्य के पोर्टल केंद्र के श्रम सुविधा पोर्टल से जुड़ेंगे। हाल ही में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियो के सम्मलेन में केंद्र के श्रम पोर्टल और राज्यों के पोर्टल को एकीकृत करने पर चर्चा की गई।

नए लेबर कोड को जल्द ही लागू किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले श्रम सुविधा पोर्टल को विकसित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। लेबर कोड के लागू होने के बाद सभी संस्थानों को श्रम सुविधा पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद संस्थानों को यूनिक लेबर कोड आइडेंटिफिकेशन नंबर (लीन) जारी किया जाएगा। अगर कोई संस्थान वर्तमान श्रम कानून के तहत पंजीकृत है तो उसे पोर्टल पर अपने पंजीयन की विस्तृत जानकारी देनी होगी। सभी संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। पोर्टल पर पंजीयन के संशोधनों व उसे रद करने की भी सुविधा होगी।

## रिटर्न भी फाइल कर सकेंगे पोर्टल पर:

नए लेबर कोड के लागू होने के बाद सभी संस्थानों को रिटर्न फाइल करना होगा और वे श्रम सुविधा पोर्टल पर रिटर्न फाइल करेंगे। श्रम सुविधा पोर्टल से एक ही जगह से देशभर के लिए लाइसेंस लिए जा सकेंगे। काम की सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड के तहत ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की सप्लाई के लिए ठेकेदार को लाइसेंस लेना पड़ता है। श्रम सुविधा पोर्टल से ठेकेदार को देशभर के लिए लाइसेंस जारी हो सकता है लेकिन इस काम में राज्यों की सहमति लेनी

होगी। कई ख़ास काम में श्रमिकों की आपूर्ति के लिए विशेष लाइसेंस की जरुरत होती है जो राज्य सरकार ही जारी करेंगी।

### दस्तावेज को ऑनलाइन देख सकेंगे इंस्पेक्टर:

श्रम सुविधा पोर्टल 2.0 की मदद से इंस्पेक्टर किसी भी संस्थान के दस्तावेज को ऑनलाइन देख सकेगा और संस्थान को नोटिस भी जारी कर सकेगा। हालांकि निरिक्षण के लिए इंस्पेक्टर को यूनिक नंबर आवंटित किए जाएंगे और उस नंबर के आधार पर निरिक्षण किया जाएगा। यह सारा काम ऑनलाइन होगा और इंस्पेक्टर को अपनी निरिक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन देनी होगी जिसे श्रम मंत्रालय देख सकेगा।

## स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री का क्यू आर कोड से कीजिए भुगतान

सभी प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों में डिजिटल इंडिया और डिजिटल पोस्ट ऑफिस मिशन के तहत क्यू आर कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है। मेरठ मंडल के प्रवर अधीक्षक डाकघर अनुराग निखारे ने बताया कि सभी प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों में प्वाइंट ऑफ सेल कॉउंटरो पर डिजिटल भुगतान सेवा के लिए क्यू आर कोड़े उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल, डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा का भुगतान ग्राहक अपने मोबाईल से काउंटर पर ऑनलाइन कर सकेगा।

XXXXXXXXXX